विधानसभा / महत्वपूर्ण

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 54 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30 / 6 / 2026

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 779 तारांकित द्वारा श्री रामकुमार यादव, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 779 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 02.07.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 55 / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30 / 6 / 2026

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **10/07/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/07/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था बंद किए जाने के संबंध में**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : 779) **श्रीरामकुमार यादव**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या प्रदेश के उचित मूल्य दुकानों में ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था बंद कर केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त निर्णय लेने के कारण क्या हैं तथा यह व्यवस्था कब से प्रभावशील है ? (ख) प्रश्नांक (क) के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण हेतु शासन द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित की गई है ? (ग) क्या शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण हैं जिनमें बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने के कारण हितग्राही खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित हुए हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर :

समस्त collector